1351

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 20805/19 | दिनांक 24/9/19

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन कालेज ऑफ नर्सिंग,
वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल,
एन0एच0–24 बन्थरा, शाहजहॉपुर ।

विषय–बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–326/71–4–19–एन–4/2017टी0सी0 दिनॉक 09 मार्च, 2019 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 16.04.2018 के क्रम से इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर बैचलर ऑफ साइन्स–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 40 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा भी धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वरूण अर्जुन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित वरूण अर्जुन कालेज ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, एन0एच0–24, बन्थरा, शाहजहॉपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रति वर्ष निरन्तरता/सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 35,000/– (पैतीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।
दिनॉक–

पत्र संख्या–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 16.04.2018 की प्रति (संलग्न)।

रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 9439/16 दिनांक 20/10/16

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,
रोहिलखण्ड हास्पिटल,
बन्थरा, शाहजहाँपुर

विषय—वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, रोहिलखण्ड हास्पिटल, बन्थरा, शाहजहाँपुर में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—4567/71—2—15—एन—39/2015 दिनॉक 17 दिसम्बर, 2015 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या—02/Sep 2016-INC दिनॉक 21.09.2016 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 60 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय—समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

......2

4. चयन हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग टयूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
7. उपचारिका प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियां भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
8. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।
9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है।
10. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र संख्या–02/Sep 2016-INC दिनॉक 21.09.2016 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर सूची अनुमोदित करा लेगें।
12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क 90,000/– (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना होगा। चयन प्रकिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती हैं।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 4318/22

दिनांक 05/05/2022

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,
वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल एनएच0 24, बन्थरा,
शाहजहाँपुर।

विषय–पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 30 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–312/71–4–2022–एन–8/2016 दिनॉक 31 मार्च, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 02.05.2022 के आधार पर पोस्ट बेसिक बी0एससी0 (नर्सिंग) की 30 सीट का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वरूण अर्जुन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल एनएच0 24, बन्थरा, शाहजहॉपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में 30 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के पोस्ट बेसिक बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए श्री अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या–

दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

Website-www.upnursescouncil.org

Email-upnursescouncil@upsmfac.org

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2235964, 2235965
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 4317/22

दिनांक 05/05/2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,
वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड
रूहेलखण्ड हास्पिटल एनएच0 24, बन्थरा, शाहजहॉपुर ।

विषय–वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल एनएच0 24, बन्थरा, शाहजहॉपुर में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की 40 सीट से बढ़ाकर 60 सीट (20 सीट वृद्वि) की मान्यता/सम्बद्वता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–339/71–4–2022–एन–8/2016 दिनॉक 31 मार्च, 2022 द्वारा निर्गत अनापित्त/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 02.05.2022 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में 60 प्रशिक्षुओं प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु निम्नलिखित निर्देशों के साथ मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्वता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

1. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।
2. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 31 दिसम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है।